संख्या- 9/2020/बी-2- 69/दस-2020

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2020

विषय- प्रदेश सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से नगरीय निकायों के देयताओ के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सख्या-603/24-पी0-1-2020, दिनांक 20 मार्च, 2020 द्वारा नगर विकास विभाग के अन्तर्गत मार्ग प्रकाश एव जलकर विद्युत देयों के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त बजट व्यवस्था कराकर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को भुगतान कराये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- उल्लेखनीय है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 7 /2020/बी-2- 62/दस-2020, दिनांक 18 मार्च, 2020 द्वारा राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प से नगरीय निकायों के देयताओ के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 में प्रावधानित धनराशि रूपये 200.00 करोड़ **(रूपये दो सौ करोड़ मात्र**) का वित्तीय स्वीकृति का आदेश निर्गत किया गया है।

3- सचिव ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय (संलग्न पुनर्विनियोग बी0एम0 9 प्रपत्र आर0ई0 संख्या-650/बी-2-68/दस-2020, दिनांक 23 मार्च 2020 के अनुसार) नगरीय निकायों के देयताओ के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 175.00 करोड़ **(रूपये एक सौ पच्चहत्तर करोड़ मात्र**) निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग प्रदेश के नगर निकायों में प्रकाश एव जलकर के विद्युत देयों का भुगतान उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को करने के लिये किया जायेगा ।
(2) धनराशि का उपयोग उसी मद के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि अवमुक्त की जा रही है ।
(3) धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर लिया जायेगा ।
(4) उक्तानुसार निर्धारित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी,जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो, सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी ।

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के लेखाशीर्ष ''2217- शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से नगरीय निकायों की देयाताओं का भुगतान-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:- यथोक्त ।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-9/2020/बी-2- 69/दस-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5- सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
6- नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।
7- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम : 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) वित्तीय वर्ष : 2019–2020 प्रपत्र – बी.एम.–9 (भाग–1)

(धनराशि लाख रुपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेतर (भारित)	आवेदन पत्र देने के दिनाँक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन–पत्र देने के दिनाँक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग (2 – 5)
1	2	3	4	5	6
2217–80–800–03–राज्य सरकार द्वारा संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों का अन्तरण–42–अन्य व्यय	17500.00	17500.00	17500.00	17500.00	0.00
योग –	**17500.00**	**17500.00**	**17500.00**	**17500.00**	**0.00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेतर (भारित)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8 + 11)
7	8	9	10	11	12
2217–80–800–04–राज्य सरकार द्वारा संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से नगरीय निकायों की देयताओं का भुगतान– 42–अन्य व्यय	20000.00	37500.00	17500.00	17500.00	37500.00
योग –	20000.00	37500.00	17500.00	17500.00	37500.00

(1)स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचतें धनराशि व्यय किये जाने की आवश्यकता न होने के कारण है

(2)स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान की धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ–7 में अंकित मदों में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने के कारण है ।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(आलोक दीक्षित)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग ।

संख्या : आर.ई.–650/बी-2– 68 /दस–2020, दिनाँक :23 मार्च, 2020

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(आलोक दीक्षित)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग ।

Scanned with CamScanner

संख्या : बी-2-68 (1)/दस-2020, दिनाँक : 23 मार्च, 2020

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
2– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)

(आलोक दीक्षित)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग ।

Scanned with CamScanner